

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी: श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रार्थी

श्रीमती सरिता पत्नी महेन्द्र कुमार
जाति अग्रवाल निवासी गूंगा
तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 कलावती पत्नी ललित कुमार जाति अग्रवाल निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर 2. बगताराम पुत्र भूसाराम जाति जाट निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर 3 अखाराम पुत्र भंवराराम 4 नरसिंगाराम पुत्र भंवराराम 5 जोगाराम पुत्र भंवराराम 6 भीमाराम पुत्र फूसाराम 7 शंकराराम पुत्र पेमाराम 8 गिरधारीराम पुत्र पेमाराम 9 भेसाराम पुत्र धोकलाराम 10 चनणाराम पुत्र धोकलाराम 11 प्रकाश पुत्र कुम्भाराम 12 भूसाराम पुत्र कुम्भाराम 13 मूलाराम पुत्र हरजीराम 14 फोजाराम पुत्र विशनाराम 15 भीमाराम पुत्र तगाराम 16 वालाराम पुत्र हरजीराम 17 दलाराम पुत्र हरजीराम 18 स्वरूपी पुत्री भूरा 19 मोहनराम पुत्र पुरखाराम 20 सारो पत्नी धनाराम 21 पदमाराम पुत्र धनाराम 22 स्वरूपाराम पुत्र चेलाराम 23 शेराराम पुत्र वेलाराम 24 लेखराज पुत्र चेलाराम 25 समदादेवी पत्नी वेलाराम 26 जगदीश कुमार पुत्र जयमल 27 नारायणराम पुत्र जयमल 28 भलाराम पुत्र जयमल 29 गोमीदेवी पत्नी जयमल 30 प्रभूराम पुत्र विशनाराम 31 भेसाराम पुत्र विशनाराम 32 चतुराराम पुत्र शेराराम जाति सुथार निवासी सुथारों की ढाणी (भाड़खा) तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-246/2021

दिनांक-17.02.2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 563/171 रकबा 19.04 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक-

17/02/2022

क्रमांक/रीडर/2022/37-40

प्रतिनिधि:- निर्माकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्ता पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा को भोजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करें।
3. प्रार्थी श्रीमती सरिता पत्नी महेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी 1 कलावती पत्नी ललित कुमार जाति अग्रवाल निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर 2. बगताराम पुत्र भूसाराम जाति जाट निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर 3 अखाराम पुत्र भंवराराम 4 नरसिंगाराम पुत्र भंवराराम 5 जोगाराम पुत्र भंवराराम 6 भीमाराम पुत्र फूसाराम 7 शंकराराम पुत्र पेमाराम 8 गिरधारीराम पुत्र पेमाराम 9 भेसाराम पुत्र धोकलाराम 10 चनणाराम पुत्र धोकलाराम 11 प्रकाश पुत्र कुम्भाराम 12 भूसाराम पुत्र कुम्भाराम 13 मूलाराम पुत्र हरजीराम 14 फोजाराम पुत्र विशनाराम 15 भीमाराम पुत्र तगाराम 16 वालाराम पुत्र हरजीराम 17 दलाराम पुत्र हरजीराम 18 स्वरूपी पुत्री भूरा 19 मोहनराम पुत्र पुरखाराम 20 सारो पत्नी धनाराम 21 पदमाराम पुत्र धनाराम 22 स्वरूपाराम पुत्र चेलाराम 23 शेराराम पुत्र वेलाराम 24 लेखराज पुत्र चेलाराम 25 समदादेवी पत्नी वेलाराम 26 जगदीश कुमार पुत्र जयमल 27 नारायणराम पुत्र जयमल 28 भलाराम पुत्र जयमल 29 गोमीदेवी पत्नी जयमल 30 प्रभूराम पुत्र विशनाराम 31 भेसाराम पुत्र विशनाराम 32 चतुराराम पुत्र शेराराम जाति सुथार निवासी सुथारों की ढाणी (भाड़खा) तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर